न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 43/2018/अपील/गुण्डा निय0 अधि0/कोटा
दायरा दिनांकः 3.12.2018
अन्तर्गत धाराः 6 गुण्डा निय0 अधिनियम

उनवान

मनोज आत्मज घनश्याम जाति कोली निवासी दुर्गा बस्ती थाना जवाहरनगर कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये अति0 जिला मजि0 (शहर) कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रघुवीर प्रसाद यादव अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 6.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर) कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 74/2017 सरकार बनाम मनोज अन्तर्गत धारा 3 गुण्डा निय. अधि. मे पारित निर्णय दिनांक 10.9.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील गुण्डा निय0 अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कुल 3 प्रकरण धारा 19/54 एक्साईज एक्ट मे दर्ज हुये जिनमे से 2 प्रकरणों मे अपीलांट को दोष सिद्ध कर न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित किये जाने से राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 (ख) (5) मे परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत गुण्डा साबित होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को राज0 गुण्डा निय. अधि. 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करते हुये गैर सायल/अपीलार्थी को दिनांक 30.9.2018 से 30 दिवस की अवधि के लिये कोटा जिले की सीमा से बदर कर थाना कोतवाली बांरा के लिये निष्काषित किये जाने का जेरअपील निर्णय निर्णय दिनांक 10.9.2018 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा धारा 6 गुण्डा निय0 अधिनियम मे अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुरोध किया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति विधि के सर्वथा विपरीत है। पुलिस ने टारगेट पूरा करने के लिये झूंटे मुकदमों मे फंसाया है। स्वतंत्र कोई गवाह नही है पुलिस कर्मी को ही गवाह बनाया गया है। उक्त अपराध गम्भीर प्रकृति का नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नही है। जेरअपील निर्णय निरस्त किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 हमने अपील पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी के विरूद्ध कुल 3 प्रकरण धारा 19/54 एक्साईज एक्ट मे दर्ज हुये जिनमे से 2 प्रकरणों मे अपीलांट को दोष सिद्ध कर न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित किये जाने से राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 (ख) (5) मे परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत गुण्डा साबित होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को राज0 गुण्डा निय. अधि. 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करते हुये गैर सायल/अपीलार्थी को दिनांक 30.9.2018 से 30 दिवस की अवधि के लिये कोटा जिले की सीमा से बदर कर थाना कोतवाली बांरा के लिये निष्काषित किये जाने का जेरअपील निर्णय निर्णय दिनांक 10.9.2018 पारित किया है। चूंकि उक्त निष्काषित अवधि समाप्त हो चुकी है। अपीलांर्थी के विरूद्ध 3 प्रकरण धारा 19/54 एक्साईज एक्ट मे दर्ज हुये जिनमे से 2 प्रकरणों मे अपीलांट को दोष सिद्ध कर न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्रमाणित है। अतः राज0 गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 2 (ख) (5) मे परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत गुण्डा साबित होता है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित पाते है। परिणमस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा